

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०- 1595/2022

सरकार बनाम जुबैर।

अंतर्गत धारा- 363, 376 भा०दं०सं०

व 3/4 पोक्सो अधिनियम।

मु०अ०सं० 691/2022

थाना- हापुड़ नगर, जिला- हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांक:- 19.12.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्त जुबैर जेरे हिरासत उपस्थित आया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त जुबैर के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 363, 376 व पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्त जुबैर के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 19.01.2023 को पेश हो।

दिनांक:- 19.12.2022

(श्वेता दीक्षित)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०- 1595/2022

सरकार बनाम जुबैर।

अंतर्गत धारा- 363, 376 भा०दं०सं०

व 3/4 पोक्सो अधिनियम।

मु०अ०सं० 691/2022

थाना- हापुड़ नगर, जिला- हापुड़।

आरोप

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त जुबैर को निम्न आरोपों से आरोपित करती हूँ-

प्रथम- यह कि दिनांक 15.08.2022 को रात्रि लगभग 02.30 बजे, बस्थान मौहल्ला पुराना बाजार कोटला युसुफ, थाना हापुड़ नगर, जनपद हापुड़ से आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० आई उम्र करीब 15 वर्ष का अभिभावक की संरक्षता से व्यपहरण किया। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 363 के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान से आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० आई उम्र करीब 15 वर्ष का व्यपहरण कर जबरदस्ती उसके साथ बलात्संग किया। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान से आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० आई उम्र करीब 15 वर्ष का व्यपहरण कर उसके ऊपर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक:- 19.12.2022

(श्वेता दीक्षित)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूँ कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक:- 19.12.2022

(श्वेता दीक्षित)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।